संक्षिप्त

थानसिंह जाटव को श्रद्धांजलि दी

अलवर, (निसं)। राजस्थान में दलित अधिकारों के अगुआ एवं पूर्व सांसद थानसिंह जाटव के निधन पर अलवर के कंपनी बाग में दलित शोषण मुक्ति मंच (डीएसएमएम) की ओर से स्मृति सभा कर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मंच के प्रदेश सहसंयोजक डॉ.रमेश बैरवा ने बताया कि थानसिंह जाटव का निधन 89 वर्ष की आयु में 5 सितंबर को हो गया था। वे अपने दौर के निर्भिक एवं आदर्श प्रशासनिक अधिकारी रहे थे। जिला संयोजक एडवोकेट बी एल वर्मा ने कहा कि उनके निधन से सामाजिक न्याय के आंदोलन को अपूरणीय क्षति हुई है। इस अवसर पर जिला सहसंयोजक फतेहसिंह चौधरी, संयोजक मंडल के सदस्य जीत, राजेश, कमलेश कुमार, राज, योगेश, लोकेश उपस्थित रहे।

ठाकुरजी ने किया जलविहार

बोराज, (निसं)। कस्बे के श्री सीताराम मंदिर में जलझूलनी एकादशी पर मंगलवार को गाजे-बाजे के साथ ठाकुरजी महाराज की भव्य डोल यात्रा पालकी में विराजमान हो नगर भ्रमण करते हुए गौरी शंकर शिव मंदिर तक पहुंची। जहां ठाकुरजी को जलविहार कराया गया।

25 लाख रूपए की चोरी की वारदात का खुलासा, दो आरोपी गिरफ्तार

निवाई, (निसं)। शहर की भगतसिंह कॉलोनी से जनवरी 2022 में हुई करीब 25 लाख की चोरी के दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों से चुराई गई नकदी में से कुछ राशि बरामद भी की है। इसके अलावा पुलिस ने चोरों द्वारा चुराई गई राशि में से खरीदी गई मोटरसाइकिल, लैपटॉप व आईफोन भी बरामद किया है।

थाना अधिकारी अजय कुमार मीणा ने बताया कि 19 जनवरी 2022 को भगत सिंह कॉलोनी निवासी निसार अहमद कुरेशी ने मामला दर्ज करवाया था कि उसने मकान की ऊपर की मंजिल में स्थित कमरे की अलमारी में मकान के बेचान की राशि 14 लाख 60 हजार व आरा मशीन व्यवसाय से प्राप्त राशि 10 लाख रुपए के साथ ही सोने चांदी के जेवरात भी रखे थे। प्रार्थी ने पुलिस को दर्ज करवाई रिपोर्ट में बताया कि 18 जनवरी 2022 की सुबह कुछ रुपयों की आवश्यकता होने पर ऊपर जाकर अलमारी खोलने लगा तो अलमारी का हैंडल और लॉक पहले से खुला हुआ मिला। उसने बताया कि अलमारी खोलकर देखा तो जिस लॉकर में राशि रखी थी वह राशि गायब मिली। जबकि जेवरात का बॉक्स अलमारी में रखा मिल गया। दर्ज रिपोर्ट पर थानाधिकारी के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया।

■ चोरी की राशि से खरीदी एक बाइक, लैपटॉप व आईफोन बरामद किया

निवाई पुलिस ने चोरी की वारदात का खुलासा किया।

टीम ने अज्ञात चोरों की तलाश शुरू की। तकनीकी सहयोग व मुखबिर खास से मिली सूचना पर पुलिस टीम ने जयपुर से सरफराज खान उम्र 19 वर्ष निवासी मकान नंबर 578 किशनपोल बाजार नमक मंडी जयपुर व उमर कुरेशी उम्र 19 साल निवासी मकान नंबर 552 नमक मंडी धोबी पाडा हाल निवासी गांधी कॉलोनी नाहरी का नाका जयपुर को गिरफ्तार कर लिया।

थानाधिकारी ने बताया कि आरोपियों से चुराई गई राशि में से 3 लाख 50 हजार की नकदी बरामद की है साथ ही चोरों द्वारा चुराई गई राशि में से खरीदी गई एक मोटरसाइकिल, एक आईफोन मोबाइल व एक लैपटॉप भी बरामद किया है।

जलझूलनी एकादशी पर विभिन्न कार्यक्रम

फुलेरा, (निसं)। फुलेरा के विभिन्न मन्दिरों में जलझूलनी एकादशी पर अनेकों कार्यक्रम आयोजित किये गये। कस्बे पुराना फुलेरा स्थित प्राचीन श्री ठाकुर जी महाराज के मन्दिर के पुजारी शिव नारायण के सानिध्य में ठाकुर जी महाराज को पालकी में बैठाकर गाजे बाजे के साथ नगर भ्रमण करवाते हुए जल विहार करवाया गया।

इस अवसर पर समिति अध्यक्ष नटवर लाल गौड ने बताया कि ठाकुर जी महाराज की पालकी को भक्तगणों ने अपने कन्धो पर उठाकर क्षेत्र के मुख्य मार्गो से होते हुए तेजाजी चौक पहुंचे। जहाँ पर ठाकुर जी को स्नान करवाकर भजन कीर्तन कर महाआरती के पश्चात पंजीरी का प्रसाद वितरण किया गया। साथ ही घरों में विराजमान लड्डू गोपाल को भी श्री ठाकुर जी महाराज साथ ही नगर भ्रमण करवाया गया। इस अवसर पर यादराम जोशी, जुगल किशोर शर्मा, स्थानीय पार्षद जितेन्द्र वर्मा, पूजा भाटी, यतेन्द्र झाकङा, सरदार सिंह चौधरी, अवधेश टाँक, रामपाल कुमावत, सत्यनारायण, मोहन लाल, मोनू हर्षित प्रजापति, शंकर, शुभम्, दक्ष प्रजापति, प्रेम चन्द, श्री किशन जागिङ, हनी, पवन सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

गुमशुदा की तलाश में पुलिस पर लापरवाही का आरोप

मालपुरा, (निसं)। मालपुरा उपखंड क्षेत्र के पचेवर थाना क्षेत्र के आवडा निवासी एक लापता युवक की रिपोर्ट दर्ज करने तथा गुमशुदगी दर्ज करने में थानाधिकारी पर लीपापोती का आरोप लगाते हुय आवडा गाँव के ग्रामीणों ने थाने के सामने दूदू छान स्टेट हाईवे पर विरोध कर जाम लगा दिया।

जाम लगा रहे ग्रामीणों ने बताया कि आवडा निवासी प्रधान जाट डोरिया में दूध डेयरी का संचालन करता है। सोमवार को देर रात तक भी प्रधान डोरिया से वापस अपने घर आवडा नहीं लौटा तो परिजनों ने मोबाईल पर संपर्क करने की कोशिश की। लेकिन प्रधान का कोई सुराग नहीं मिला। प्रधान के परिजनों ने मंगलवार को पचेवर थाने पहुँच गुमशुदगी की रिपोर्ट दी। पुलिस ने शाम तक जब कोई कार्यवाही नहीं की तो आवडा के ग्रामीणों में आक्रोश बढ गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने थाने के सामने प्रदर्शन करते हुए जाम लगा दिया गया।

जाम को हटाने के लिए थानाधिकारी रतन सिंह तंवर द्वारा प्रयास किए गए लेकिन प्रदर्शनकारी हटे नहीं।सूचना पर पहुंचे पुलिस उपाधीक्षक सुशील मान ने लोगों से चर्चा कर गुमशुदा व्यक्ति की शीघ्र तलाश करने का आश्वासन दिया। सीईओ मान के आश्वासन पर विश्वास करते हुए लोगों ने जाम हटा दिया। सीईओ सुशील मान ने बताया की रिपोर्ट प्राप्त होते ही दिए गए मोबाइल नंबरों की कॉल डीटेल निकलवाने का प्रयास किया जा रहा है तथा गुमशुदा की तलाश के लिए गठित पुलिस की विशेष टीमें कार्य में जुटी हुई है।

हरिओम शर्मा अध्यक्ष नियुक्त

फुलेरा, (निसं)। कस्बे में निजी विद्यालयों ओर शिक्षकों के लिए समर्पित संस्था प्राइवेट टीचर्स एसोसिएशन फुलेरा ब्लॉक सांभरलेक ने देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की 135वीं जयंती संक्षिप्त रूप से संस्था के निर्वतमान उपाध्यक्ष किशोर खारडिया की अध्यक्षता में मनाई गई। कार्यक्रम के दौरान सर्वप्रथम डॉ.राधाकृष्ण के छायाचित्र पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित किए। तत्पश्चात सभी शिक्षकों को माला पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ शिक्षक योगेन्द्र गहलोत ने किया। संस्था के तीन वर्ष पूर्ण होने एवं पुरानी कार्यकारिणी को भंग करके उपस्थित सदस्यों की सर्वसहमति से हरिओम शर्मा को संस्था का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा अभिभाष्य श्री भगवान सहाय पुत्र श्री बालूराम जाति बैरवा, निवासी ग्राम कपूरावाला, तहसील सांगानेर, जिसके स्वामित्व की कृषि भूमि खसरा नम्बर-154 रकबा 1.10 हैक्टेयर का हिस्सा 1/2 ग्राम महासिंहपुरा उर्फ कपूरावाला, पटवार हल्का-कपूरावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित के बाबत गोपाल लाल वर्मा पुत्र श्री रामस्वरूप वर्मा, जाति रैगर, निवासी प्लाट नम्बर 23, सैनी कॉलोनी, सांगानेर, जिला जयपुर के मध्य दिनांक 07.06.2022 को एक इकरारनामा बाबत बेचान निष्पादित हुआ था। जिसकी शरायतों का उल्लंघन करने पर मेरे अभिभाष्य ने दिनांक 23.08.2022 के विधिक नोटिस द्वारा उक्त इकरारनामा को निरस्त कर दिया गया है, भविष्य में कोई भी व्यक्ति मेरे अभिभाष्य की उक्त वर्णित सम्पत्ति से सम्बन्धित किसी प्रकार का कोई संव्यवहार करता है तो वह स्वयं जिम्मेदार होगा। सूचित रहे।
जयपुर (के.आर. बैरवा) एडवोकेट, मो. 9414083756

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री राजीव कुमार पुत्र श्री राम लाल, निवासी लेगों का बास, ग्राम उंचारडा खुर्द, तहसील मेडतासिटी, जिला नागौर राजस्थान राज्य ने प्लाट नम्बर 78, कनक वृन्दावन, ग्राम दहमी कलां, तहसील सांगानेर जिला जयपुर, क्षेत्रफल 130.20 वर्गगज को खरीद कर लिया है एवं उक्त प्लाट के मूल दस्तावेजात की श्रृंखला में से दिनांक 16.02.2009 का विक्रय पत्र लिखा हुआ, जिसका पंजीयन क्रमांक 2009399000584 व दिनांक 16/2/2009 का विक्रय पत्र लिखा हुआ, जिसका पंजीयन क्रमांक 201339903032 है, कहीं गुम हो गई है, यदि किसी व्यक्ति का उक्त सम्पत्ति में उत्तराधिकार, विक्रय, रहन, लीज, दान व अन्य किसी प्रकार से अधिकार या हक हो तो निम्न हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष सात दिवस में अपना अधिकार या हक मय दस्तावेज प्रस्तुत करें, अन्यथा उक्त सम्पत्ति पर रहन कर लिया जायेगा एवं उसके पश्चात किसी प्रकार का कोई हक या अधिकार मान्य नहीं होगा तथा ना ही मेरे मुवक्किल AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED पर बाध्यकारी होगा। भुवनेश जैन, एडवोकेट, मो. 9828025372

गायों की सेवा में लगे एलएसए गोविंद व पं. गौरी शंकर

किशनगढ बास, (निसं)। हिंदू संस्कृति में गायों को गौ माता माना गया है घर के अंदर भी सबसे पहले गाय की रोटी हम निकालते है। आज जब हमारी गौ माता लंपी जैसी महामारी के रोग से ठास्त होकर जिंदगी और मौत के बीच तडप रही हो और हजारों की तादाद में दम तोड़ चुकी हो तो ऐसे में उन्हें बचाना हम सबका धर्म है। यह कहना है ज्योतिष आचार्य पंडित गौरी शंकर शर्मा का जिनका पूरा परिवार लंपी रोग से ठास्त गायों को बचाने में इन दिनों दिन रात जुटा है।

जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित गांव भाकरी के पंडित ज्योतिष आचार्य गौरी शंकर शर्मा और पशु चिकित्सालय में एलएसए के पद पर कार्यरत छोटे भाई गोविंद भारद्वाज अलसुबह 5 बजे घर से निकल जाते हैं और पूरे दिन यही देखते हैं कि कोई गाय रोग से ग्रस्त होकर तडप तो नहीं रही है। रात दिन गोवंश की सेवा में लगे एलएसए गोविंद भारद्वाज बताते हैं कि लावारिस गोवंश के इलाज के साथ अगर कोई उन्हें सूचना देता है तो वह घर जाकर भी निशुल्क इलाज करने के साथ दवा का पैसा भी नहीं लेते हैं। गोवंश की सेवा में उनके साथ बडे भाई ज्योतिषाचार्य पंडित गौरीशंकर शर्मा और भतीजे मोहित व भतीजी दिव्या भी पढ ाई के साथ इस सेवाभाव के कार्य में जुटे है। भारद्वाज ने पशुपालकों से अपील की है कि बीमारी से पीडित गोवंश को अपने घर में ही बांधकर रखे और वह तब तक घर पर इलाज कराये जब तक कि पूर्णता रोग ठीक नहीं हो जाता है। ज्योतिषाचार्य पं शर्मा ने इस संकट की घडी में गौमाता की रक्षा करने में सहयोग की अपील की है।

नम्बर मिलाइए 9587884433
सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

लालसोट नगरपालिका के 57 वार्डों में 2 करोड़ के शहरी नरेगा कार्य होंगे

लालसोट, (निसं)। नगरपालिका के सभी 57 वार्डों में करीब 2 करोड रुपए लागत के शहरी नरेगा कार्य किए जाएंगे। इस शहरी नरेगा योजना में 18 से 60 आयु वर्ग को मिलेगा रोजगार का लाभ मिलेगा। 9 सितंबर से शुरू हो रही लालसोट नगर पालिका क्षेत्र में शहरी नरेगा योजना की जानकारी देने के लिए नगर पालिका सभागार में मंगलवार को पालिका अध्यक्ष रक्षा मिश्र की अध्यक्षता में पार्षदों की मौजूदगी में एक बैठक आयोजित की गई।

जहां नगर पालिका चेयरमैन रक्षा मिश्र एवं अधिशासी अधिकारी सीमा चौधरी नगर पालिका वायस चेयरमैन संतोष स्वामी द्वारा पार्षदों को जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार की महत्वकांक्षी योजना इंदिरा गांधी शहरी गांरटी रोजगार योजना का शुभारंभ नो सितम्बर शुक्रवार से किया जाएगा। निकाय के बेरोजगार परिवारों को योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा मिले इस बाबत संबंधित पार्षदों को खुद के बालों में ज्यादा से ज्यादा प्रचार-प्रसार करने के लिए आ ान किया गया। बैठक में अधिशाषी अधिकारी सीमा चौधरी द्वारा उपस्थित पार्षदगणों को इंदिरा गांधी शहरी गांरटी रोजगार योजना के तहत दिये जा रहे लाभों के बारे में विस्तृत रूप बताया और पार्षदगणों से अपील की कि आप अपने अपने वार्ड निवासरत बेरोजगार परिवारों को इस योजना से जोडें और उनके जॉब कार्ड अनिवार्य रूप से बनाकर कार्य की मांग करे ताकि उन्हे रोजगार उपलब्ध कराया जा सके और राज्य सरकार की मंशानुसार उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाये जा सकें। तत्पश्चात पालिका के कनिष्ठ अभियंता सुरेश चंद शर्मा और बसराम मीना द्वारा उक्त योजना के तहत पालिका में करवाये जाने वाले कार्यों से वार्डा पार्षदों को अवगत कराया कि 2 करोड की राशि के 57 कार्य करवाये जावेगें जो पालिका के समस्त वार्डो सार्वजनिक स्थानों पर किये जावेगें। अंत में अधिशाषी अधिकारी सीमा चौधरी ने बताया कि दिनांक 9 सितंबर को स्थानीय कैमला तलाई पर योजना का शुभारंभ किया जावेगा। बताया की जिन व्यक्तियों ने अपने जॉब कार्ड बनवा लिये वे कार्य की मांग हेतु नगरपालिका मे आकर कार्य की मांग कर सकते है। मांग के उपरांत ही रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।

नगर पालिका सभागार में पालिका अध्यक्ष रक्षा मिश्र की अध्यक्षता में पार्षदों की मौजूदगी में एक बैठक आयोजित की गई।

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य श्री प्रशान्त गुप्ता पुत्र श्री राजेन्द्र गुप्ता निवासी 320-ए, देवी नगर न्यू सांगानेर रोड, सोडाला जयपुर (राज.) का है जो कि मेरे अभिभाष्य का पुत्र शुभम गुप्ता व पुत्रवधू दिया गुप्ता है जो मेरे अभिभाष्य को नाजायज परेशान करते हैं तथा कहने सुनने में नहीं है। इसलिये मेरा अभिभाष्य अपने पुत्र शुभम गुप्ता व पुत्रवधू दिया गुप्ता को अपनी समस्त चल अचल सम्पत्ति व अधिकारों से बेदखल करता है। यदि कोई भी व्यक्ति, संस्था निकाय उनके साथ कोई संव्यवहार करता है लेन देन करता है तो वह स्वयं जिम्मेदार होगा सूचित रहे।
(दीपक अग्रवाल) एडवोकेट, मो. 8619553395

आम सूचना
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि भूखण्ड संख्या बी-65, बापू नगर, जयपुर का मूल पट्टा/विक्रय पत्र संख्या 2791/76 सम्वत 2033 जो मेरे पिता श्री सुरेन्द्र कुमार जैन के नाम जारी किया हुआ है तथा उप-पंजीयक कार्यालय में पंजीबद्ध है, मुझसे दिनांक 03.09.2022 को अपने घर से फोटो कॉपी कराने जाते समय रास्ते में कहीं गिर गया तथा काफी तलाश करने पर भी नहीं मिला। यदि किसी को उक्त मूल पट्टा मिले तो मुझे निम्न पते पर पहुंचाने की कृपा करें।
(राजेश कुमार जैन) पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार जैन
बी-65, बापू नगर, युनिवर्सिटी रोड, जयपुर। मो. 9828012041

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत-तृतीय **राजस्थान आवासन मण्डल**
जे.एल.एन. मार्ग, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर, दूरभाष संख्या :- 0141-4901853
आम जाहिर सूचना
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा विकसित आवासीय भूखण्ड संख्या **8/H/156** इन्दिरा गांधी नगर, जयपुर क्षेत्रफल **243.81** वर्ग मीटर का आवंटन आरूषी सर्राफ पुत्री श्री राजेन्द्र सर्राफ को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 10165 दिनांक 25.08.2010 जारी किया गया था। उनके द्वारा विकसित आवासीय भूखण्ड के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर-प्रथम में दिनांक 30.08.2010 को करवाया गया। आरूषी सर्राफ पुत्री श्री राजेन्द्र सर्राफ के द्वारा कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर प्रथम में दिनांक 19.11.2010 को उक्त आवास का मुख्तयारनामा आम श्री पुरूषोत्तम शेवानी पुत्र स्व. श्री मूल चन्द शेवानी को नियुक्त किया गया। तत्पश्चात मुख्तयारनामा आम धारक श्री पुरूषोत्तम शेवानी पुत्र स्व. श्री मूल चन्द शेवानी के द्वारा उक्त विकसित आवासीय भूखण्ड का बेचान जरीये विक्रय पत्र के श्री गोविन्द अग्रवाल पुत्र स्व. श्री रूपनारायण अग्रवाल को कर, विक्रय पत्र का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर प्रथम में दिनांक 20.01.2011 को करवाया गया। तत्पश्चात श्री गोविन्द अग्रवाल पुत्र स्व. श्री रूपनारायण अग्रवाल के द्वारा उक्त विकसित आवासीय भूखण्ड का बेचान जरीये विक्रय पत्र के श्री जयवीर सिंह पुत्र श्री भूदेव सिंह को कर, विक्रय पत्र का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर अष्टम में दिनांक 05.07.2013 को करवाया गया। श्री जयवीर सिंह पुत्र श्री भूदेव सिंह के द्वारा मण्डल अभिलेख में उक्त विकसित आवासीय भूखण्ड का हस्तान्तरण अपने पक्ष में करने का निवेदन किया गया है। अतः उक्त हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति/बैंक/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त आवेदनकर्ता- **श्री जयवीर सिंह पुत्र श्री भूदेव सिंह** के पक्ष में उक्त विकसित आवासीय भूखण्ड के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी। सम्पदा प्रबंधक- वृत तृतीय, रा.आ.मण्डल, जयपुर

खोया पाया
मेरा पासपोर्ट संख्या A0849067 दिनांक 06.09.2022 को सचिवालय विहार से रीको कांटा के मध्य कहीं गिर गया। जिसको मिले मुझे पहुंचाये। जगदीश पटेल पुत्र स्व. श्री हरीलाल पटेल R/o-371, सचिवालय विहार, रीको कांटा, जयपुर। मोबाइल- 9928469662

NAME CHANGE
I change my name from Nisar Ahmed to Nisar Ahmad S/o Abdul Vahid. In Future I will be known by Nisar Ahmad. R/o A-57, Rana Colony nahri ka Naka, Jaipur.

I Have Changed My Name From Nandani to Nandini Agrawal in Future Address:- Plot No. 7, Moti Nagar, Near Lata Circle, Jhotwara, Jaipur

मैंने नाम अनन्या अदिति सोंगरा से बदलकर अनन्या सोंगरा पुत्री भूपेन सोंगरा रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी से जाना जाए। ई-1, गंगवाल पार्क, जेएलएन मार्ग, जयपुर

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)
व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. 129/22
विषय- उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।
नाम प्रार्थी अंजली राठौड़ पत्नी स्व. लोकेश राठौड जाति राजपुत विवाद स्थान फ्लेट नम्बर 30/7/5 मानसरोवर, जयपुर
मृतक स्व. लोकेश राठौड की सम्पत्ति के विषय में।
पेशी दिनांक- 18.10.22
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम स्वर्गीय लोकेश राठौड पुत्र स्व. मोतीलाल राठौड जाति जयपुर निवासी.... का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावें।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 18 माह 10 सन् 2022 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
आज दिनांक 25 माह 08 सन् 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।
आज्ञा से
अपर जिला एवं सैंशन न्यायाधीश क्रम 10, जयपुर महानगर प्रथम सांगानेर
मोहर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी नगर पालिका मण्डल जोबनेर जयपुर
क्रमांक-न.प.जो./90ए/22-23/1595 **लोक सूचना** दिनांक-06.09.2022
इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि के निम्न खातेदार द्वारा गैर कृषिक प्रयोजन (कृषि से संस्थानिक भू-उपयोग परिवर्तन) के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृत अधिकरो के निर्वापन के लिए प्रस्तुत किया है।

क्र. सं.	आवेदक का नाम	जिले सहित तहसील का नाम	राजस्व ग्राम	खसरा नं.	क्षेत्रफल
1	श्री बालाजी एज्यूकेशन समिति जरिये अध्यक्ष श्री अब्दुल रईस खान पुत्र श्री अब्दुल रशीद खान निवासी ग्राम डेहरा	जोबनेर जिला-जयपुर	राजस्व ग्राम तहसील-जोबनेर	2421/2041	रकबा 1.0875 हैक्टेयर में से 10708 वर्गमीटर (कृषि से संस्थानिक भू-उपयोग परिवर्तन हेतु)

अतः इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृत अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृत अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर-भीतर किसी कार्य पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत करेगा।
उपर्युक्त नियत समय भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।
यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक.......को जारी की गई।
प्राधिकारी अधिकारी, (अधिशाषी अधिकारी) नगर पालिका जोबनेर

कार्यालय नगर पालिका श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.
क्रमांक-नपाश्रीमा./2022-23/3065-66 **आपत्ति आमंत्रण सूचना** दिनांक-06.09.2022
श्री (1) मनिता पत्नी श्री मयंक अरोडा (2) गीत पुत्री स्व. श्री मंजीत सिंह मक्कड (3) जीत पुत्र स्व. श्री मंजीत सिंह मक्कड जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता मनिता निवासी वार्ड नम्बर 27 खटोडा बाजार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान ने नीचे वर्णित भूमि में अपने अधिकार व्यावसायिक प्रयोजनार्थ के लिये ऐसी भूमि के उपयोग के लिये पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार प्राप्त करने के लिये नगर पालिका के पक्ष में अभ्यर्पित कर दिये है।

जिले सहित नगर का नाम	वार्ड/कॉलोनी/ गली का नाम	पडौस द्वारा सीमाबद्ध भू-खण्ड सं.	उत्तर दिशा दर्शित करते हुए लम्बाई और चौडाई सहित क्षेत्र (मीटर में)
नगर पालिका श्रीमाधोपुर (सीकर)	वर्तमान वार्ड नं.27 खटोडा बाजार श्रीमाधोपुर	चर्तु सीमाऐं निम्न प्रकार से है- पूर्व दिशा में शिवपाल बलोदा की दुकान, पश्चिम दिशा में राजू भडभूज्या की दुकान, उत्तर दिशा में खटोडा बाजार आम रास्ता व दक्षिण दिशा में परमात्माशरण पालीवाल की दुकान अवस्थित है।	दुकान व्यावसायिक प्रयोजनार्थ हेतु जिसकी नाप पूरब से पश्चिम 18 फुट व उत्तर से दक्षिण 22 फुट कुल 44 वर्गगज या 36.78 वर्गमीटर है।

इसलिए इसके द्वारा समस्त सम्बन्धित व्यक्तियो को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा-69क के अधिन पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार अभिप्राप्त करने के लिए नगर पालिका के पक्ष में आवेदक द्वारा भूमि में के अधिकार अभ्यर्पण करने की अनुज्ञा की मंजूरी के संबंध में कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के सात दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजो के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।
उपर्युक्त नियत समय के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी व्यक्ति को कोई आक्षेप नहीं है और मामले का तदनुसार निपटारा किया जायेगा।
यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 06.09.2022 को जारी की गयी।
अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका श्रीमाधोपुर

कार्यालय नगर पालिका श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.
क्रमांक-नपाश्रीमा./2022-23/3576-77 **आपत्ति आमंत्रण सूचना** दिनांक-06.09.2022
तोफीक कुरेशी पुत्र श्री मोहम्मदीन कुरेशी निवासी वार्ड नं. 33 पुष्पनगर कस्बा श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान ने नीचे वर्णित भूमि मे अपने अधिकार आवासीय प्रयोजनार्थ के लिये ऐसी भूमि के उपयोग के लिये पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार प्राप्त करने के लिये नगर पालिका के पक्ष में अभ्यर्पित कर दिये है।

जिले सहित नगर का नाम	वार्ड/कॉलोनी/ गली का नाम	पडौस द्वारा सीमाबद्ध भू-खण्ड सं.	उत्तर दिशा दर्शित करते हुए लम्बाई और चौडाई सहित क्षेत्र (मीटर में)
नगर पालिका श्रीमाधोपुर (सीकर)	वर्तमान वार्ड नं.33 पुष्पनगर श्रीमाधोपुर	चर्तु सीमाऐं निम्न प्रकार से है- पूर्व दिशा में रघुनाथ राठौड की भूमि, पश्चिम दिशा में मोहम्मदीन का मकान, उत्तर दिशा में आम रास्ता, व दक्षिण दिशा में बुन्दु कुरेशी का मकान अवस्थित है।	मकान आवासीय प्रयोजनार्थ हेतु जिसकी नाप पूरब से पश्चिम उत्तरी भुजा 31 फुट 9 इंच, दक्षिणी भुजा 27 फुट 6 इंच, उत्तर से दक्षिण पूर्वी भुजा 48 फट 9 इंच, व पश्चिमी भुजा 53 फुट कुल क्षेत्रफल 167.00 वर्गगज या 139.68 वर्गमीटर है।

इसलिए इसके द्वारा समस्त सम्बन्धित व्यक्तियो को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा-69क के अधिन पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार अभिप्राप्त करने के लिए नगर पालिका के पक्ष में आवेदक द्वारा भूमि मे के अधिकार अभ्यर्पण करने की अनुज्ञा की मंजूरी के संबंध में कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के सात दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजो के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।
उपर्युक्त नियत समय के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी व्यक्ति को कोई आक्षेप नहीं है और मामले का तदनुसार निपटारा किया जायेगा।
यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 06.09.2022 को जारी की गयी।
अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका श्रीमाधोपुर

कार्यालय नगर पालिका श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.
क्रमांक-नपाश्रीमा./2022-23/3579-80 **आपत्ति आमंत्रण सूचना** दिनांक-06.09.2022
श्री श्याम सुन्दर अग्रवाल पुत्र श्री ग्यारसीलाल अग्रवाल निवासी वार्ड नम्बर 17 सीकर बाजार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान ने नीचे वर्णित भूमि मे अपने अधिकार व्यावसायिक प्रयोजनार्थ के लिये ऐसी भूमि के उपयोग के लिये पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार प्राप्त करने के लिये नगर पालिका के पक्ष में अभ्यर्पित कर दिये है।

जिले सहित नगर का नाम	वार्ड/कॉलोनी/ गली का नाम	पडौस द्वारा सीमाबद्ध भू-खण्ड सं.	उत्तर दिशा दर्शित करते हुए लम्बाई और चौडाई सहित क्षेत्र (मीटर में)
नगर पालिका श्रीमाधोपुर (सीकर)	वर्तमान वार्ड नं.17 सीकर बाजार श्रीमाधोपुर	चर्तु सीमाऐं निम्न प्रकार से है- पूर्व दिशा में किशोरीलाल हलवाई की दुकान, पश्चिम दिशा मे चबुतरा छोडकर आम रास्ता गली, उत्तर दिशा मे चबुतरा छोडकर सीकर बाजार रोड व दक्षिण दिशा में पुष्पा देवी का मकान अवस्थित है।	दुकान व्यावसायिक प्रयोजनार्थ हेतु जिसकी नाप पूरब से पश्चिम उत्तरी भुजा 16 फुट 10 इंच, दक्षिणी भुजा 16 फुट 9 इंच, व उत्तर से दक्षिण 26 फट 3 इंच, कुल क्षेत्रफल 48.98 वर्गगज या 40.95 वर्गमीटर है।

इसलिए इसके द्वारा समस्त सम्बन्धित व्यक्तियो को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा-69क के अधिन पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार अभिप्राप्त करने के लिए नगर पालिका के पक्ष में आवेदक द्वारा भूमि मे के अधिकार अभ्यर्पण करने की अनुज्ञा की मंजूरी के संबंध में कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के सात दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजो के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।
उपर्युक्त नियत समय के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी व्यक्ति को कोई आक्षेप नहीं है और मामले का तदनुसार निपटारा किया जायेगा।
यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 06.09.2022 को जारी की गयी।
अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका श्रीमाधोपुर

कार्यालय नगर पालिका श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.
क्रमांक-नपाश्रीमा./2022-23/3573-74 **आपत्ति आमंत्रण सूचना** दिनांक-06.09.2022
श्री रामगोपाल अग्रवाल पुत्र श्री राधेश्याम अग्रवाल जाति महाजन निवासी वार्ड नं. 17 चौपड बाजार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान ने नीचे वर्णित भूमि मे अपने अधिकार व्यावसायिक प्रयोजनार्थ के लिये ऐसी भूमि के उपयोग के लिये पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार प्राप्त करने के लिये नगर पालिका के पक्ष में अभ्यर्पित कर दिये है।

जिले सहित नगर का नाम	वार्ड/कॉलोनी/ गली का नाम	पडौस द्वारा सीमाबद्ध भू-खण्ड सं.	उत्तर दिशा दर्शित करते हुए लम्बाई और चौडाई सहित क्षेत्र (मीटर में)
नगर पालिका श्रीमाधोपुर (सीकर)	वर्तमान वार्ड नं.17 चौपडा बाजार श्रीमाधोपुर	चर्तु सीमाऐं निम्न प्रकार से है- पूर्व दिशा में मधुसूदन कयाल की दुकान, पश्चिम दिशा मे सरोज देवी की दुकान, उत्तर दिशा मे चौपड बाजार आम चौक व दक्षिण दिशा मे मंदिर श्री सत्यनारायण भगवान परिसर अवस्थित है।	दुकान व्यावसायिक प्रयोजनार्थ हेतु जिसकी नाप पूरब से पश्चिम 10 फुट 4 इंच, उत्तर से दक्षिण 26 फुट कुल क्षेत्रफल 30.04 वर्गगज या 25.11 वर्गमीटर है।

इसलिए इसके द्वारा समस्त सम्बन्धित व्यक्तियो को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा-69क के अधिन पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार अभिप्राप्त करने के लिए नगर पालिका के पक्ष में आवेदक द्वारा भूमि मे के अधिकार अभ्यर्पण करने की अनुज्ञा की मंजूरी के संबंध में कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के सात दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजो के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।
उपर्युक्त नियत समय के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी व्यक्ति को कोई आक्षेप नहीं है और मामले का तदनुसार निपटारा किया जायेगा।
यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 06.09.2022 को जारी की गयी।
अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका श्रीमाधोपुर

घायल अवस्था में मिला वृद्ध, मृत घोषित

निवाई, (निसं)। हाईवे पर स्थित एनसीबी फैक्ट्री गुंसी के पास डिवाइडर पर एक वृद्ध घायल अवस्था में मिला। राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस से घायल वृद्ध को निवाई अस्पताल लेकर आई। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शव को मोर्चरी में रखवा दिया। सदर थानाधिकारी कप्तान सिंह ने बताया कि मृतक के पास से मिले कागजात से उसकी पहचान रामकिशन पाठक ग्राम चितौनी थाना शुजालपुर जिला शाजापुर मध्यप्रदेश के रूप की गई। पुलिस ने उसके परिजनों को सूचना दी। मंगलवार की सुबह परिजन निवाई अस्पताल पहुंचे। थानाधिकारी ने बताया कि मृतक के पुत्र जितेंद्र पाठक ने पुलिस को बताया कि मृतक मानसिक रोगी था और 2 सितंबर को घर से निकला था और जिसे तलाश कर रहे थे। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया।

तिजारा विधायक, पुलिस और एसडीएम के खिलाफ भाजपा का प्रदर्शन

अलवर, (निसं)। तिजारा विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को तिजारा उपखंड मुख्यालय की तहसील कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। भाजपा का यह प्रदर्शन राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों और तिजारा सहित भिवाडी में व्याप्त सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार, बढ ते अपराध, महिलाओं के साथ आए दिन हो रही ज्यादती, फायरिंग, लूटपाट, स्थानीय तिजारा विधायक संदीप यादव के गुर्गों की गुंडागर्दी के विरोध में किया गया था।

तिजारा उपखंड सहित भिवाडी क्षेत्र के सभी भाजपाई इसमें शामिल हुए। धरना प्रदर्शन के दौरान तिजारा के पूर्व विधायक मामन सिंह यादव ने घोषणा करते हुए कहा की धरना स्थल पर जब तक भिवाडी एडीएम ज्ञापन लेने के लिए नहीं आएंगे तब तक धरना प्रदर्शन समाप्त नहीं होगा। भाजपाइयों ने कहा कि दोपहर 2 बजे तक एडीएम नहीं पहुंचे तो हाईवे को जाम किया जाएगा, इधर मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी प्रेम बहादुर के नेतृत्व में भारी पुलिस जाब्ता धरना स्थल पर मौजूद है। धरना स्थल पर मौजूद पंचायत समिति तिजारा प्रधान जयप्रकाश यादव ने एसडीएम महेंद्र यादव को तिजारा क्षेत्र का सबसे बडा लुटेरा बताया और उनके कार्यों की जांच होनी चाहिए। एसडीएम तिजारा क्षेत्र में जमीनों के इंतकाल खोलने के नाम से पैसे लिए जाते हैं।

साथ ही 1 दिन पूर्व भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए पूर्व मंत्री जगमाल सिंह यादव के बेटे चंद्रशेखर यादव ने तिजारा के पूर्व थानाधिकारी जितेंद्र नावरिया पर भ्रस्टाचारी होने का आरोप लगाया और उसकी संपत्ति की जांच कराने की मांग की। भाजपा के पदाधिकारी विधायक व पुलिस विभाग सहित एसडीएम महेंद्र यादव पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं।

बढ़ती चोरियों को लेकर प्रदर्शन

पावटा, (निसं)। पावटा व आसपास के क्षेत्रों मे बढ़ती घटनाओं के बाद जनप्रतिनिधियों, व्यापारियों व ग्रामीणों की नाराजगी बढ गई। पुलिस पर सुस्त कार्रवाई का आरोप लगाते हुए जनप्रतिनिधि, व्यापारी व ग्रामीण सुबह करीब 10 बजे जनप्रतिनिधि, स्थानीय दुकानदार, ग्रामीण अपनी दुकानें बंद करके टसकोला बस स्टैंड घटना स्थल पर एकत्रित होना शुरू हो गए थे। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया। पावटा नाहरेडा रोड जाम कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया और करीब 3 घंटे तक चले रोड जाम को जनप्रतिनिधियों, व्यापारियों व ग्रामीणों ने वृत्ताधिकारी वृत्त कोटपुतली डॉ. संध्या यादव के आश्वासन बाद खोला। दोनों पक्षों में सौहार्दपूर्ण बातचीत के बाद प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया। वृत्ताधिकारी कोटपुतली डॉ.संध्या यादव ने लोगों को आश्वासन दिया कि इस मामले की गंभीरता से जांच की जाएगी और आरोपियों को शीघ्र गिरतार किया जाएगा।

कार्यालय नगर पालिका मण्डावरी (दौसा)
क्रमांक-न.पा.म./2022//2002 दिनांक-06.09.2022
आपत्ति आमंत्रण सूचना
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रशासन शहरो के संग अभियान 2021 के तृतीय चरण के दौरान 69-ए पट्टे/नवीनीकरण/पटटा स्थानान्तरण/पूर्ण स्वामित्व पट्टा प्राप्त करने के लिये पत्रावलिया प्राप्त हुई है उक्त पत्रावलियों में किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो अन्दर मियाद 7 दिवस में मय लिखित सबूत पालिका में अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें अन्यथा बाद मियाद कोई उज़दारी मान्य नहीं होगी।
अतः सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधिन आज दिनांक 06.09.2022 को जारी की है।

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मोहल्ला/वार्ड	क्षेत्रफल वर्गगज में
1	श्री कजोडमल मीना पुत्र श्री अम्बालाल मीना	व्यास की कोठी	24
2	श्रीमती सम्पत्ति देवी पत्नि श्री रामावतार मीना	वेद मोहल्ला	35.18
3	श्री नाथूलाल पुत्र श्री ग्यारसी लाल महावर	धोबी मोहल्ला	71.76
4	श्री सत्यप्रकाश गोयल पुत्र श्री घनश्याम गोयल	चौधरी मोहल्ला	60.57
5	श्रीमती सुमित्रा देवी पत्नी श्री घनश्याम बैरवा	गढ मोहल्ला	95
6	श्री धर्मेन्द्र कुमार पुत्र श्री रामधन मीना	मैन बस स्टेण्ड	17.06
7	श्रीमती ललिता देवी पत्नी श्री बाबूलाल बैरवा	शीतला माता ढाणी	58.33
8	श्री रामावतार अग्रवाल (बजाज) पुत्र श्री हरिप्रसाद बजाज	मैन बाजार	27.91
9	श्री नाथू लाल शर्मा पुत्र श्री सूरजमल शर्मा	बस स्टेण्ड	22.22
10	श्री ज्ञानेन्द्र शर्मा पुत्र श्री मोहन लाल शर्मा	तामडायत मोहल्ला	194.96
11	श्री मुकेश कुमार गवेन्द्रा पुत्र श्री आनन्दी लाल गवेन्द्रा	खटीक मोहल्ला	171.11
12	श्री सत्यनारायण अग्रवाल पुत्र श्री रामदयाल महाजन	मैन मार्केट	40.88
13	श्री बनवारी लाल मीना पुत्र श्री रामपाल मीना	खिडकी मोहल्ला	78.94
14	श्री राजेश गुप्ता पुत्र श्री छाजू लाल गुप्ता	बालाजी चौक	183.41
15	श्री खेमराज मीना पुत्र श्री रामकरण मीना	कोठी वाली ढाणी	255.55

अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, मण्डावरी

शांति समिति की बैठक में डीजे पर लगी रोक हटाने का मुद्दा छाया

मालपुरा (निस) अन्नत चतुर्दशी पर मालपुरा शहर में निकलने वाले ऐतिहासिक गणेश विर्सजन शोभायात्रा सहित अन्य आयोजनों के दौरान शहर व क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था को लेकर मंगलवार को मालपुरा थाना परिसर में एसडीएम रामकुमार वर्मा की अध्यक्षता व डीवाईएसपी सुशील मान की मौजूदगी में शांति समिति व एकता मंच की बैठक आयोजित की गई।

बैठक के दौरान गणेश विसर्जन शोभायात्रा सहित अन्य धार्मिक यात्राओं व कार्यक्रमो मे डीजे के प्रयोग पर लगी पाबंदियों व जटिलताओं मे शिथिलता बरत डीजे के उपयोग की स्वीकृति जारी किये जाने का मामला प्रमुखता से छाया रहा। गणेश विसर्जन आयोजन समिति अध्यक्ष रतन लाल नायक व हिन्दु समरसता मंच के कृष्णकांत जैन, एडवोकेट नन्दकिशोर सैनी, राजेन्द्र राजपुरोहित, अमरचन्द मैन्दवास्या सहित अन्य ने डीजे की स्वीकृति का मामला उठाया। मणिशंकर शर्मा ने पुरानी तहसील गोवला घाट पर गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान गौताखोर दस्ते सहित सुरक्षा के पुख्ता इंतेजामात रखने की आवश्यकता जताई। रवि कुमार जैन ने पर्यूषण पर्व के दौरान जैन मंदिरों के पास व शहर मे विशेष पुलिस जाप्ता व गश्त की बात कही। एसडीएम आरके वर्मा ने डीजे पर लगी रोक के आदेश राज्य सरकार व गृह विभाग द्वारा जारी किये जाने की बात कहते हुए बिना प्रशासनिक स्वीकृति के किसी प्रकार के कोई आयोजन नहीं करने की बात कही तो थानाधिकारी कैलाश विश्नोई ने कहा कि डीजे किसी विवाद का मुख्य कारण नहीं है। डीवाईएसपी सुशील मान ने शहर पर लगे अतिसंवेदनशीलता के बदनुमा दाग को धोने के लिए एक-दूजे के त्यौहारों पर आपसी भाईचारे से शरीक हो त्यौहार मनाये व कानून व्यवस्था मे प्रशासन के साथ भागीदार बनने की बात कही। थाना पुलिस के गश्ती दल ने शहर मे संदिग्ध अवस्था मे घुमते इंसाफ, अनीस, आसीफ व मुकेश को शांतिभंग में गिरफतार किया गया।

मालपुरा थाना परिसर में एसडीएम रामकुमार वर्मा की अध्यक्षता व डीवाईएसपी सुशील मान की मौजूदगी में बैठक आयोजित हुई।

■ संदिग्ध अवस्था में घूमते 4 गिरफ्तार